

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021—श्रावण 22, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2021

क्र. एफ-बी-04-02-2021-2-पांच-(03).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 25 में, उप-नियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) बैंक वित्तीय संस्थाएं, डाकघर या ऐसे निगम/मंडल/कंपनी जिनमें केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कम से कम 51% अंश धारित है.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2021

क्र. एफ-बी-04-02-2021-2-पांच-(03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-04-02-2021-2-पांच-(03), दिनांक 13 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 13th August 2021

No. F- B-04-02-2021-2-V (03).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Indian Stamp act, 1899 (II of 1899) State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 25, in sub-rule (2), for the clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Banks, Financial Institutions, Post offices or such Corporation/Board/Company wherein at least 51% share is held by Central or State Government.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.